न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

कु नं 82/25

1. सुन्दरलाल दत्तक पुत्र श्री बाघाराम प्राकृतिक पुत्र श्री जीवणराम उम्र 37 वर्ष जाति सुथार निवासी मण्डाल चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1.बाघाराम पुत्र श्री शिवलाल जाति सुथार निवासी मण्डाल चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत, बीकानेर ।

..... अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषक:—

1. बाबुलाल मेघवाल प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दलीप सिंह एवं श्री हरिकिशन उपाध्याय अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 05.03.26

प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.09.25 को दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि—

1. उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
2. प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके रोही मण्डाल चारनान के खसरा नम्बर 44 व 159/47 तादादी 55. 05 बीघा व चक बीठनोक के खसरा नम्बर 679 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि वादी के दत्तक पिता बाघाराम के नाम से रिकार्ड में दर्ज है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है।
3. यह कि वंशावली निम्न है—

4. प्रार्थी के दत्तक पिता बाघाराम व उनकी पत्नि प्रार्थी की दत्तक माता धूडी देवी के कोई सन्तान नही है तथा प्रार्थी उक्त बाघाराम के रिश्ते मे पौता लगता है बाघाराम व धूडी देवी के कोई संतान नही होने की वजह से प्रार्थी से बचपन से ही प्रार्थी के दत्तक पिता बाघाराम व दत्तक माता धूडी देवी अत्यधिक स्नेह व प्रेम रखते थे। प्रार्थी के दत्तक माता पिता बाघाराम व धूडी देवी वृद्ध व मानसिक रूप से बीमार है।
5. उक्त बाघाराम व उनकी पत्नी धूडी देवी के द्वारा प्रार्थी को सन् 2017 में पुत्र सुख की प्राप्ति व प्रार्थी से बचपन से स्नेह प्रेम होने के कारण सामाजिक व धार्मिक परम्परा के अनुसार प्रार्थी को उक्त बाघाराम और उनकी पत्नि धूडी देवी ने पीढे पर बिठाकर तिलक निकालकर नारियल देकर मांगलिक गीत गाकर गोद लेने की तमाम रस्म अदा कर प्रार्थी को दत्तक पुत्र के रूप में उक्त बाघाराम व उनकी पत्नि धूडी देवी ने स्वेच्छा से स्नेहपूर्वक गोद लिया तथा प्रार्थी के प्राकृतिक माता श्रीमति रामप्यारी देवी व पिता श्री जीवणराम ने अपनी स्वीकृति गोद बाबत् दी। उक्त गोद लेने की रस्म अदायगी के वक्त परिवार के व रिश्तेदारी के कई मौजिज लोग इस मांगलिक कार्य में उपस्थित थे जिसमें कालूराम पुत्र चैनाराम व जालूराम पुत्र भैराराम जाति सुथार निवासीगण मण्डाल चारनान तहसील कोलायत भी बतौर गवाह उपस्थित थे।
6. उक्त बाघाराम व उनकी पत्नि ने प्रार्थी को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेने के बाद लिखित गोदनामे से पूर्व माता पिता के रूप में हरिद्वार गंगा आदि की तीर्थ यात्रा करने तथा तीर्थ यात्रा करने के बाद लिखित गोदनामा करने का उक्त बाघाराम व उनकी पत्नि ने वचन दिया उसके बाद सन् 2017 से लेकर 10 मई 2025 तक उक्त बाघाराम व उनकी पत्नि ने प्रार्थी से दत्तक पुत्र होने की वजह से सामाजिक, धार्मिक पारिवारिक व्यापारिक व कृषि सम्बन्धी कार्य करने के लिए नगद व प्रार्थी के बैंक खाता व फोन में से ऑनलाईन के जरिये करीब 70 से 75 लाख रुपये उक्त जरूरतों व दायित्वों को पूरा करने के लिए तथा दवाईया व ईलाज के लिए दिए करीब 30 लाख रुपये तो उक्त बाघाराम ने सन 2024 में अपने पुश्तैनी खेत वाके रोही मण्डाल चारनान के खसरा नं 44 व 159/47 तादादी 55. 05 बीघा में ट्यूबेल बनाने व ट्यूबेल का उपयोग उपभोग करने के लिए सिचाई हेतु अन्य उपकरण खरीदने के लिए प्रार्थी से लिये तथा करीब 5 लाख रुपये ट्यूबेल बनाने के बाद उक्त ट्यूबेल में काश्त करने के लिए बीज, खाद आदि खरीदने के लिए तथा फसल बोने, काटने व निकालने आदि के लिए प्रार्थी से लिये।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत-बीकानेर

7. उक्त बाधाराम द्वारा प्रार्थी को विश्वास में लेकर जरूरत बताकर बहुत बड़ी राशि लेकर कर्जदार कर दिया जिसको चुकाने के लिए प्रार्थी मजदूरी करने के लिए राजस्थान से बाहर चला गया। प्रार्थी के दत्तक माता पिता उक्त बाधाराम व धूड़ी देवी मानसिक रूप से बीमार व उम्र दराज है जिस कारण प्रार्थी व उक्त बाधाराम के पुश्तैनी उक्त खेत में फसल काटकर निकालकर बाजार में बेचकर फसल की रकम को खाते में जमा करवा ली। प्रार्थी द्वारा अपने दत्तक पिता उक्त बाधाराम से लोगों के रुपये चुकाने के लिए फसल विक्रय की राशि लेनी चाही तो उक्त बाधाराम ने अपने परिवार के ही व्यक्ति से फसल विक्रय करवाकर रुपये उन लोगो को दे दिये फिर प्रार्थी के मांगने पर प्रार्थी द्वारा दी गई राशि में से कुछ राशि कुल 21,30,000/– रुपये जरिये आरटीजीएस दिनांक 20.05.2025 से 23.05.2025 तक अलग अलग किस्तों में प्रार्थी के खाते मे जमा करवाई। शेष राशि करीब पचपन साठ लाख रुपये अभी भी प्रार्थी के अप्रार्थी संख्या 1 में बाकी है।

8. प्रार्थी उक्त बाधाराम व धूड़ी देवी का दत्तक पुत्र है तथा उक्त बाधाराम की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं 44 व 159/47 वाके रोही मण्डाल चारनान तादादी 55.05 बीघा व खसरा नम्बर 679 चक बीठनोक तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि में सन् 2017 में दत्तक लेने के दिन से कृषि भूमि पुश्तैनी होने को कारण दत्तक पुत्र के रूप में हक हिस्सा नियत है तथा प्रार्थी दत्तक पुत्र के रूप में अपनी तमाम जिम्मेवारी का निर्वाह सन 2017 से आज तक करता आ रहा है तथा भविष्य में भी पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेवारी निर्वाह करने को तैयार है।

9. दिनांक 09.06.2025 को प्रार्थी अपने उक्त पुश्तैनी खेत के ट्यूबेल पर था तो उक्त बाधाराम व कुछ लोग प्रार्थी के पुश्तैनी ट्यूबेल पर आये तथा उक्त लोगों ने प्रार्थी को कहा कि उक्त भूमि हमने खरीद ली है तथा उक्त भूमि बाबत आपके खाते में जो फसल राशि जमा करवाई गई थी उसे खेत खरीदने की राशि बताकर आपकी उक्त भूमि का बैयनामा अपने हक में करवा लेंगे। हमने आपके दत्तक पिता बाधाराम को विश्वास में लेकर आपकी फसल से जाकर बेचकर उसकी राशि आपकों आरटीजीएस के द्वारा आपके खाते हस्तांतरित कर सबूत बना लिया है अब आपके दत्तक पिता व दत्तक माता हमारे कहने में है। हम आपका पुश्तैनी खेत मय ट्यूबेल हमारे नाम करवा लेंगे। जिस पर प्रार्थी ने अपने दत्तक माता पिता बाधाराम व धूड़ी देवी से उक्त लोगों द्वारा कही गई उक्त बाते बताई तो उन्होने कोई जवाब नहीं दिया तथा प्रार्थी द्वारा यह कहने पर कि मैंने एक पुत्र के रूप में आपकी हर बात का सम्मान किया व आपकों करीब 75–80 लाख रुपये आजदिन तक दे चुका हूं। आपने खेत से मात्र एक फसल के रुपये 21,30,000/– रुपये आज तक आपने मुझे दिये है वो भी आरटीजीएस करवाये है तो प्रार्थी के दत्तक माता पिता उक्त बाधाराम व धूड़ी देवी ने कहा कि तेरे साथ अन्याय नही होगा तू हमारा पुत्र है. पुत्र रहेगा। लेकिन लोगो द्वारा प्रार्थी के पुश्तैनी खेत की फसल बेचकर जरिये आरटीजीएस राशि प्रार्थी के खाते में डाली गई है का दुरूपयोग कर प्रार्थी के पुश्तैनी खेत को प्रार्थी के वृद्ध दत्तक माता पिता उक्त बाधाराम व धूड़ी देवी से हडप करने पर आमदा है।

10. दिनांक 09.06.2025 को प्रार्थी अपने उक्त पुश्तैनी खेत के ट्यूबेल पर था तो उक्त बाधाराम कुछ लोग प्रार्थी के पुश्तैनी ट्यूबेल पर आये तथा प्रार्थी को कहा कि उक्त भूमि हम खरीद ली है तथा उक्त भूमि बाबत आपके खाते में जो फसल राशि जमा करवाई गई थी उसे खेत खरीदने की राशि बताकर आपकी उक्त भूमि का बैयनामा अपने हक में करवा लेंगे तथा प्रार्थी को कहा कि तुम्हे यह भूमि खाली करनी पड़ेगी जिस पर प्रार्थी ने कहा कि यह भूमि मेरी पुश्तैनी कृषि भूमि है जिस पर मेरा बाई बर्थ व दत्तक पुत्र के रूप में हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी ने अपनी उक्त पुश्तैनी भूमि को खाली करने से इन्कार कर दिया। जिस पर उक्त लोगों ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि तुम्हारे खाते में जो फसल राशि जरिये आरटीजीएस डाली गई थी को उक्त भूमि के प्रतिफल के रूप में दिखाकर उक्त भूमि का बैयनामा अपने हक करवाकर इस भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल करने धमकी दी। प्रार्थी को यही दिनांक प्रतिवादी के विरुद्ध बिनाय दावा बिनाय नुखारस हासिल हुई है।

12. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार होने से जरिये तहसीलदार भू.अ. कोलायत को बतौर अप्रार्थी संख्या 2 पक्षकार बनाया गया है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश कर श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पारित किया जावे कि कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके रोही मण्डाल चारनान के खसरा नम्बर 44 व 159/47 तादादी 55.05 बीघा व चक बीठनोक के खसरा नम्बर 679 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके रोही मण्डाल चारनान के खसरा नम्बर 44 व 159/47 तादादी 55.05 बीघा व चक बीठनोक के खसरा नम्बर 679 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थी को अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि से अप्रार्थीगण बेदखल ना करें ना ही अतिक्रमण करें ना ही ऐसा कोई तर्क या फेल करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत पड़ता हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अनुसार वकालतन उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थना पत्र 212 निरस्त किया जावे।

पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके रोही मण्डाल चारनान के खसरा नम्बर 44 व 159/47 तादादी 55.05 बीघा व चक बीठनोक के खसरा नम्बर 679 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि वादी के दत्तक पिता बाघाराम के नाम से रिकार्ड में दर्ज है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त बाघाराम व उनकी पत्नी घूडी देवी के द्वारा प्रार्थी को सन् 2017 में पुत्र सुख की प्राप्ति व प्रार्थी से बचपन से स्नेह प्रेम होने के कारण सामाजिक व धार्मिक परम्परा के अनुसार प्रार्थी को उक्त बाघाराम और उनकी पत्नि घूडी देवी ने पीढे पर बिठाकर तिलक निकालकर नारियल देकर मांगलिक गीत गाकर गोद लेने की तमाम रस्म अदा कर प्रार्थी को दत्तक पुत्र के रूप में उक्त बाघाराम व उनकी पत्नि घूडी देवी ने स्वेच्छा से स्नेहपूर्वक गोद लिया तथा प्रार्थी के प्राकृतिक माता श्रीमति रामप्यारी देवी व पिता श्री जीवणराम ने अपनी स्वीकृति गोद बाबत् दी। उक्त गोद लेने की रस्म अदायगी के वक्त परिवार के व रिश्तेदारी के कई गणिज्य लोग इस मांगलिक कार्य में उपस्थित थे जिसमें कालूराम पुत्र चैनाराम व जालूराम पुत्र भैराराम जाति सुथार निवासीगण मण्डाल चारनान तहसील कोलायत भी बतौर गवाह उपस्थित थे। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश कर श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके रोही मण्डाल चारनान के खसरा नम्बर 44 व 159/47 तादादी 55.05 बीघा व चक बीठनोक के खसरा नम्बर 679 तादादी 6.3200 हैक्टेयर भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थी को अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि से अप्रार्थीगण बेदखल ना करें ना ही अतिक्रमण करें ना ही ऐसा कोई तर्क या फेल करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत पड़ता हो।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी द्वारा जो वंशावली बतायी गई है उसका उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। प्रार्थी सुन्दरलाल अप्रार्थी बाघाराम का गोद पुत्र नही है और ना ही अप्रार्थी ने कभी प्रार्थी सुन्दरलाल को गोद लिया और ना ही कोई गोदनामा किया अतः हक व हिस्से का सवाल ही नही उठता है। हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार गोद लिए जाने वाले पुत्र की गोद लेने के वक्त उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने आप को 2017 में बाघाराम द्वारा गोद लिया हुआ बताया गया है। इस हिसाब से प्रार्थी की पत्रावली में बतायी गयी उम्र के अनुसार 29 वर्ष के लगभग होती है जो हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम के नियमों के विरूद्ध है। अतः प्रथम दृष्टया मामला ही प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है और ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होती है। अतः प्रार्थना पत्र 212 खारिज योग्य है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र का परिशीलन किया गया तथा बहस के तर्कों पर मनन किया गया। विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थी सुन्दरलाल द्वारा बाघाराम के गोदनामें के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया।

प्रार्थना पत्र पत्रावली मे तीनों बिन्दुओ का विश्लेषण किया गया।

प्रथम दृस्टया मामला:– प्रार्थी सुन्दरलाल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ गोदनामा प्रस्तुत नही किया है एवं ना ही प्रार्थी द्वारा अपने आप को बाघाराम के दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है और ना ही प्रार्थी बाघाराम के गोदनामा को साबित करने में सफल रहा है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होना नही पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन:– प्रार्थी सुन्दरलाल द्वारा बाघाराम के दत्तक पुत्र होने के संबंध में ना ही कोई ठोस तथ्य एवं ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गये अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होना नही पाया जाता है।

अपूर्णीय क्षति:– विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थी ने कोई भी दस्तावेज जिससे उसका हक एवं अधिकार परिलक्षित होता हो, प्रस्तुत नही किया है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होना नही पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.03.26 को सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

दिनांक :– 6/3/26

क्रमांक :– 119
निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत